(v) Procurement, marketing, process ing and storage facilities for poultry products will be strengthened.

(vi) Training facilities will be strengthened so that appropriate technology and knowledge is disseminated to workers and farmers on a wide front.

(vii) Diversification programmes will be taken up for production of quails, ducks, turkey, guinea fowl.

(viii) The immense potential of export of poultry products will be fully exploited by providing the required incentives and logistic support.

(ix) Market intervention operations will be expended.

Effect of delayed monsoon

272. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Mtteorological Depsrtment has predicted a late monsoon this year;

(b) if so, whether Kharif-sowing is likely to be delayed, leading to alteration in the crop variety; and

(c) what steps Government are taking to help the farmers in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN): (a) Yes. Sir.

(b) Kharif-sowing is likely to be delayed in some parts of the country, especially in areas which ara totally depen dent On rainfall. However, there will be no need of any alteration in crop varieties at this stage.

(c) The Central Government has circulated to the State Governments the guidelines for preparation of Contingency Plan, which can be adopted in the event of delayed or inadequate rainfall.

कृषि की स्थिति के संबंध में भानु प्रताप सिंह समिति

273. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में सरकार द्वारा नियुक्त भानु प्रताप सिंह समिति की मुख्य सिफारिशें क्या-क्या हैं ? और

(ख) इन सिफारिशों के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) भानु प्रताप सिंह समिति ने कृषि नीतियों और कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर बहुत-सी सिफारिशें की हैं, जिसमें फार्म मूल्य नीति, वैकल्पिक खाद्य सुरक्षा प्रणाली, अधिक उत्पादन के लिए नई नीति, कृषि क्षेत्र में आय तथा रोजगार, कृषि उत्पादों का निर्यात, भूमि तथा जल संसाधनों का बेहतर उपयोग, कृषि को उद्योग घोषित करना तथा राष्ट्रीय कृषि नीति आदि को कवर किया गया है। रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर कार्यवाही की जा रही है।

खाद्यान्नों का उत्पादन

274. **श्री राम जेठमलानी :**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने वर्ष 1992-93 के दौरान खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) यदि हां, तो मात्रा की दृष्टि से यह लक्ष्य क्या है और रबी और खरीफ की फसलों के लिए अलग-अलग लक्ष्य क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश में उत्पादकों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ बीज, खाद, जल, विनाशक जीवनाशी उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्षों की तुलना में कोई नई व्यवस्था की है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादकों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए पिछली व्यवस्था में क्या सुधार किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) 1992–93 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :–

चावल

खरीफ	68.75 मिलियन मीटरी टन
रबी	8.50 मिलियन मीटरी टन
कुल	77.25 मिलियन मीटरी टन
गेहूं	57.00 मिलियन मीटरी टन

ज्वार

खरीफ	9.00 मिलियन मीटरी टन
रबी	4.00 मिलियन मीटरी टन
कुल	13.00 मिलियन मीटरी टन
बाजरा	6.50 मिलियन मीटरी टन
मक्का	9.50 मिलियन मीटरी टन
रागी	2.50 मिलियन मीटरी टन

अन्य मोटे अनाज

खरीफ	1.00 मिलियन मीटरी टन
रबी (जौ)	1.75 मिलियन मीटरी टन
कुल मोटे अनाज	34.25 मिलियन मीटरी टन
कुल दलहन	14.50 मिलियन मीटरी टन
कुल खाद्यान्न	183.00 मिलियन मीटरी टन

(ग) और (घ) समेकित चावल विकास कार्यक्रम, विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम (मक्का तथा कदन्न), गहन कपास विकास कार्यक्रम आदि जैसी कुछ फसल उत्पादन-उन्मुख स्कीमों को संशोधित किया गया है–जैसे बीजों, माइक्रो पोषकों, पौध रक्षण उपकरणों, पौध रक्षण रसायनों के वितरण आदि जैसे संघटकों के निर्बाध प्रवाह के संबंध में शिनाख्त–शुदा सम्पूर्ण राज्यों को कवर किया गया है। प्रदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रौद्योगिकी के कारगर अन्तरण के लिए शिनाख्तशुदा जिलों तक ही सीमित किया गया है। इजाद की गई नई किस्मों के तेजी से प्रसार को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपर्युक्त स्कीमों में प्रमाणित बीजों के वितरण में सब्सिडी की विभेदी दरों का प्रस्ताव किया गया है। इजाद की गई नई किस्मों के उत्पादन के लिये, खासकर समस्याग्रस्त इलाकों के लिए, प्रोत्साहन भी दिये गय हैं ।

विदेशों द्वारा भारत से बीजों और पौध का आयात

275. **चौधरी हरि सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व के अनेक देशों ने सब्जियों के बीज और पौध का भारत से आयात करने के समझौते किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या-क्या हैं; और

(ग) उन देशों ने किन-किन सब्जियों के बीज और पौध की मांग की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991–92 और 1992–93 (जून 1992 तक) के दौरान सब्जियों के बीजों/पौधों के आयात के लिये बाहरी देशों द्वारा किसी द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता